## GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI DIRECTORATE OF EDUCATION; INCLUSIVE EDUCATION BRANCH (IEB) BEHIND LADY SRI RAM COLLEGE; LAJPAT NAGAR-IV; NEW DELHI-110024

No. F.8/DDE(IEDSS)/Admn.Cell/ /2018/ 1783-94

Dated: 10/2/23

#### CIRCULAR

Copy of Notification for Recruitment rules for the Post of Trained Graduate Teacher Special Education Teacher in Directorate of Education, Govt. of NCT of Delhi, published in Delhi Gazette Extraordinary Part-IV on 03/02/2023, is hereby circulated for information to all concerned.

Encl: As above

(SHINGARE RAMCHANDRA MAHADEV)
JOINT DIRECTOR OF EDUCATION (IEB)

Dated: 10/2/23

No. F.8/DDE(IEDSS)/Admn.Cell/ /2018/ \7383 - 94

Copy forwarded to the following for information:

- 1. Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur Hose, Shahjahan Road, New Delhi 110069.
- 2. Secretary to Hon'ble Lt. Governor of Delhi, Raj Niwas, Delhi.
- 3. Pr. Secretary (Education), Govt. of NCT of Delhi.
- 4. Secretary, Law, Justice & LA Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
- 5. Director, Directorate of Education, Govt. of NCT of Delhi.
- 6. Deputy Secretary (Services), Services Department, Govt. of NCT of Delhi.
- 7. Deputy Secretary (GAD), General Administrative Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
- 8. Deputy Secretary, Delhi Subordinate Services Selection Board, Govt. of NCT of Delhi, FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi 92.
- Hindi Officer, Language Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
- 10 All RDEs/DDEs/ADEs, Directorate of Education, Govt. of NCT of Delhi.
- 11. Section Officer (IT) to upload the circular along with RRs in the Recruitment Rules Section of the website of this Directorate.

12. Guard file.

(SHINGARE RAMCHANDRA MAHADEV)
JOINT DIRECTOR OF EDUCATION (IEB)

रिवस्ट्री सं. शी.एस.- 33002/99

## भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-04022023-243453 SG-DL-E-04022023-243453

## वसाधारण EXTRAORDINARY

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46] दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 3, 2023/माघ 14, 1944 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 476 No. 46] DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 3, 2023/MAGHA 14, 1944 [N. C. T. D. No. 476

## भाग IV PART IV

## राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

# शिक्षा निदेशालय (समावेशी शिक्षा शाखा) अधिसुचना

दिल्ली, 9 जनवरी, 2023

सं. फा. 8/डी.डी.ई. (आई.ई.डी.एस.एस.) / प्रशा॰ सेल / 2018 /206.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. फा. 27/59-एचआईएम (i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 04/11/2010 को सं॰फा॰ डी.ई.40(20)/09/आई.ई. डी.सी./306/ 373 के अधिक्रमण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (विशेष शिक्षा अध्यापक) पद हेतु निम्नलिखित भर्ती नियमों में संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

- 1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंम**:- (i) इन नियमों को शिक्षा निदेशालय, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (विशेष शिक्षा अध्यापक भर्ती नियमावली 2022 कहा जाएगा।
  - (ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :- उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

797 DG/2023 (1)

- 3. भर्ती पद्धित, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि:- उक्त पद की भर्ती पद्धित आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- 4. अयोग्यता:- ऐसा कोई भी व्यक्ति
  - (क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या
- (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है. वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/है किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

- 5. शिथिल करने की शक्ति:-जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो आदेश द्वारा तथा कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंधों में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।
- 6. **बचाव**: इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

## अनुसूची

1.	पदनाम	प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (विशेष शिक्षा अध्यापक)			
2.	पदों की संख्या	1757 (2022) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।			
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा अलिपिकीय अराजपत्रित समूह 'ख			
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	स्तर-7 अभियुक्ति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर -7 (44900-142400/- रुपये)			
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद है	चयन पद ।			
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	30 वर्ष से अधिक नहीं। टीप:- आयु सीमा निर्धारण हेतु अंतिम तिथि डी. एस. एस. एस. बी. द्वारा यथा विज्ञापित होगी। 6 (क) महत्वपूर्ण विवरण : लागू नहीं 6 (ख) शिथिलनीय विवरण : केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशो के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय			
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य	अनिवार्य		वांछनीय	
	योग्यताएं	योग्यता	अनुभव	योग्यता	अनुभव
		1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से	लागू नहीं		
		स्रातक उपाधि। 2. बी0एड0 (विशेष शिक्षा);		योग्यता मानक टीप	अनुभव मानक टीप
		अथवा		लागू नहीं	लागू नहीं
		विशेष शिक्षा में एक वर्षीय डिप्लोमा सहित बी०एड० (सामान्य) ;			

## अथवा

विशेष शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा सहित बी०एड० (सामान्य);

#### वयवा

विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर व्यवसायिक डिप्लोमा (पी०जी०पी०डी०) सहित बी० एड० (सामान्य);

## वयवा

बी० एड० (विशेष शिक्षा) तथा विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर व्यवसायिक प्रमाण-पत्र (पी०जी०पी०सी०);

#### अथवा

विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (मानसिक मंदता);

## अथवा

विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (बहु दिव्यांगता) : शारीरिक एवं तंत्रिका संबंधी ;

#### अथवा

विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (गतिमान दुर्बलता एवं प्रमस्तिष्क पक्षाघात);

#### वयवा

दृष्टि दोष में सकैण्डरी स्तर अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम;

#### अथवा

बधिरों के अध्यापन में सीनीयर डिप्लोमा ;

#### अथवा

दृष्टि दोप में बी०ए बी० एड०;

3. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित केन्द्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा (सी. टी.ई.टी) (प्राथमिक स्तर) उत्तीर्ण की हो। केन्द्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा में

		आरक्षित वर्गो जैसे अनु० जाति / अनु० जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग से संबंधित उम्मीदवारों के लिए अर्हक अंकों में 5 प्रतिशत तक छूट की अनुमति होगी। 4. भारतीय पुनर्वास परिषद	
		(आरसीआई) से पंजीकरण।  टीप: 1 दृष्टि दोष में बीए० बी० एड० स्नातक तथा बी० एड० विशेष शिक्षा का एकीकृत पाठ्यक्रम होने के कारण दृष्टि दोष में बी०ए बी०एड० करने वाले उम्मीदवारों को अलग से स्नातक करना अपेक्षित नहीं है।	
		टीप 2. एकल दिव्यांगता के क्षेत्र में योग्यता रखने वाले अध्यापक को किसी सामान्य स्कूल में विविधता के व्यापक क्षेत्र में देखभाल हेतु चल रहे मॉड्यूलर पाठ्यक्रमों द्वारा अन्य दिव्यांगता क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।	
		टीप: 3. अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।	
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	आयु –नहीं शैक्षणिक योग्यता- हाँ	
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष अभियुक्ति : सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लि	ए
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती	पद्धति	प्रतिशत
	द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा	सीधी भर्ती	75
	विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	पदोन्नति जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	25

11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है।	पदोन्नतिः  ग्रेड में पांच वर्षों की नियमित सेवा सहित तथा विभाग द्वारा यथानिर्धारित 2 से 4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400- 112400 /- रूपये) में दिल्ली नगर निगम में विशेष अध्यापक (प्राथमिक)।  टीप:- जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे वशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा की अवधि के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो इसमें जो भी कम हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।  मानक टीप: लागू नहीं		
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	विभागीय पदोन्नित समिति  1. प्रधान सचिव / सचिव (शिक्षा) (सदस्य)  2. प्रधान सचिव / सचिव (श्रम) (सदस्य)  3. विशेष सचिव / अपर सचिव (टी.टी.ई.) (सदस्य)  4. टीप :डीपीसी की बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठतम अधिकारी करेगा (सदस्य)।	विभागीय स्थायीकरण समिति  1. प्रधान सचिव / सचिव (शिक्षा) (सदस्य)  2. प्रधान सचिव / सचिव (श्रम) (सदस्य)  3. विशेष सचिव / अपर सचिव (टी.टी.ई.) (सदस्य)  4. टीप : डीसीसी की बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठतम अधिकारी करेगा (सदस्य)।	
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यक	न्ता नहीं है।	

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,

शिंगारे रामचन्द्र महादेव, पदेन संयुक्त सचिव (शिक्षा)

## DIRECTORATE OF EDUCATION

(Inclusive Education Branch)

## NOTIFICATION

Delhi, the 9th January, 2023

No. F. 8/DDE(IEDSS)/Admn.Cell/2018/206.—In exercise of the Powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, read with the Govt. of India, Ministry of Home Affair's Notification No.F.27/59-Him(i) dated 13th July, 1959 and in supersession of the Notification of this Govt. no. F.DE 40(20)/09/IEDC/306/373 dated: 04/11/2010, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to amend following recruitment rules for the post of Trained Graduate Teacher (Special Education Teacher) in the Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

#### Short title and commencement :-

- (i) These rules may be called Directorate of Education, Trained Graduate Teacher (Special Education Teacher) Recruitment Rules 2022.
  - (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
- 2. Number of posts, classification and pay level in the Pay Matrix: The number of the said post, its classification and pay level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in Columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit, qualification etc: The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and other matter connected therewith, shall be as specified in Columns 5 to 13 of the said Schedule.
- Disqualifications :- No person,
  - a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person;

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax: Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax in consultation with Union Public Service Commission for any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving: Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

	T		
1.	Name of post	Trained Graduate Teacher (Special Education Teacher)	
2.	No of posts	1757 (2022)* Subject to variation dependent on workload	
3.	Classification	General Central Service Non Ministerial Non-Gazetted Group, B	
4.	Pay Level in the Pay Matrix	7 Remark: Level-7 (Rs.44900 – 142400/-) in the pay matrix.	
5.	Whether Selection post/ Non Selection Post	Selection Post	
6.	Age Limits for Direct Recruits.	Not exceeding 30 years  Note:- The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by DSSSB.  6(a) Crucial description:  NA  6(b) Relaxation description:  Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government	

		Essential		Desirable	
7.	Educational and other Qualification required for	Qualification	Experience	Qualification	Experience
	direct recruits	Graduation Degree from a recognized University/ Institute.	NA		
		B.Ed (Special Education);     OR			
		B.Ed (General) with one year Diploma in Special Education; OR		Qualification Standard Note	Experience Standard
		B.Ed (General) with two years Diploma in Special Education;		NA	Note NA
		OR  B.Ed (General) with Post Graduate  Professional Diploma in Special  Education (PGPD);			
		OR  B.Ed Special Education and Post graduate professional Certificate in Special Education (PGPC);  OR			
		PG Diploma in Special Education (Mental Retardation);			
		OR PG Diploma in Special Education (Multiple Disability: Physical and Neurological).			
		OR PG Diploma in Special Education (Locomotor impairment and Cerebral Palsy); OR			
		Secondary Level Teacher Training Course in Visual Impairment;			
		OR Senior Diploma in Teaching the Deaf; OR DAR Ed in Visual Impairment			
		BA B.Ed in Visual Impairment.  3. Qualified in Central Teacher Eligibility Test (CTET) (Elementary Stage) conducted by Central Board of Secondary Education (CBSE). Relaxation upto 5 percent in the qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging to reserved categories such as SC/ST/OBC/PH in CTET.			
		4. Registration with Rehabilitation Council of India (RCI).			
		Note:1 BA B.Ed. in Visual Impairment being integrated course of graduation and B.Ed. Special Education, separate graduation is not required in the case of candidate			

		possessing BA B.Ed. in Visual Impairment.			
		Note:2 Teacher with qualification in single disability area will be encouraged to specialize in other disability areas by undergoing modular courses to take care of wide range of diversities in a General School.			
		Note:3 Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.			
8.	Whether age & educational qualification prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotees.	AGE : No Edu Qual : Yes			
9.	Period of probation if any	2 years  Remark: for direct recruits			
10.	Method of Recruitment, whether by direct	Method		Perce	ntage
	recruitment or by promotion or by deputation/absorption	Direct Recruitment		75	
	and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	Promotion failing which direct recruitme	ent	2:	5
11.	In case of recruitment by Prom/Dep./abs. grades from	PROMOTION:			
	which prom/dep./abs to be made	Special Educator (Primary) in Municip (Rs35400 - 112400/-) of the Pay Matrix and having successfully completed two the department.	with five yea	rs regular servic	e in the grade
		Note: Where juniors who have complet being considered for promotion, their s they are not short of the requisite qualif of such qualifying/ eligibility service successfully completed their probation grade along with their juniors who h eligibility service. Standard Note: NA	senior would fying/eligibil or 2 years, period for p	also be consider lity service by me whichever is le promotion to the	ered provided nore than half ess and have e next higher
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its	Departmental Promotion Committee	Depa	rtmental Confi	rmation
	composition	Principal Secretary/ Secretary     (Education) (member)		Secretary/ Secron) (member)	etary
		Principal Secretary/ Secretary     (Labour) (member)	2. Principal	Secretary/ Secretary/ Secretary/	etary
		Special Secretary/ Addl. Secretary (TTE) (member)      Note a The period ment of feet will.	3. Specia	al Secretary	/ Addl.
		<ol> <li>Note: The senior most officer will chair the meeting of DPC (member)</li> </ol>	Secretary	y (TTE) (membe	er)

		Note: The senior most officer will chair the meeting of DCC (member)
13.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	sary

By Order and in the Name of Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

SHINGARE RAMCHANDRA MAHADEV, Ex-Officio Jt. Secy. (Education)